



क्या आप जानते हैं?

- भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आम आदमी को सक्षम बनाया गया है।
- भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को अनुचित प्रताड़ना और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- यह व्हिसल ब्लोअरों (मुखबिरों/सचेतकों) की सुरक्षा करने वाला भारत का पहला कानून है!

इसे संभव बनाया है

- सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को विकसित करने और उसका समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता ने।
- कांग्रेस पार्टी के दृढ़ विश्वास ने कि इस सोच को साकार करने के लिए व्हिसल ब्लोअरों की सुरक्षा ज़रूरी है।
- भ्रष्टाचार समाप्त करने और व्हिसल ब्लोअरों (मुखबिरों/सचेतकों) को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सुधारवादी कदमों ने।



CONGRESS

व्हिसल ब्लोअर (मुखबिर/सचेतक) सुरक्षा कानून

- कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार या जान-बूझकर ताकत के दुरुपयोग का खुलासा कर सकता है।
- शिकायत के प्रकार के आधार पर, राज्य/केंद्रीय स्तर के सतर्कता आयोगों, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय या संसद/विधान सभा के समक्ष खुलासे किए जा सकते हैं।
- अगर किसी विभाग/कंपनी के प्रमुख की निगरानी में कोई अपराध होता है तो उसे सज़ा दी जा सकती है।
- भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा की जाएगी (ऐसा करने में विफल रहने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम तीन वर्ष तक की सज़ा हो सकती है)।





“ भ्रष्टाचार हर स्तर की गहराई में पहुँचा हुआ एक रोग है और यह समाज के हर तबके को प्रभावित करता है। एक पार्टी के तौर पर हमें इसका प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने की लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। जन शिकायतों के निवारण के लिए, व्हिसल ब्लोअरों (मुखबिरों) की सुरक्षा के लिए और बड़ी सरकारी खरीदों और संविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमने लीक से हटकर नए कानून बनाए हैं। आने वाले समय में यह सुनिश्चित करेगा कि भ्रष्टाचार में कमी हो और आम आदमी को लाभ मिले।”

— श्रीमती सोनिया गांधी



CONGRESS